

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002

दिनांक: अक्टूबर 05, 2021

—: सूचना :-

उ0प्र0 शासन के पत्रसंख्या-1788727/2021/कृषिअ-67-1001(099)/301/2019 दिनांक 10.09.2021 (संलग्नक-1) एवं सं0-1788727(1)/2021/कृषिअ-67-1001(099)/301/2019 दिनांक 21.09.2021 (संलग्नक-2) के क्रम में विश्वविद्यालय के अधीन संचालित विभिन्न नवसृजित महाविद्यालयों में शैक्षिक संवर्ग के 50% रिक्त पदों एवं कतिपय पूर्व से सृजित रिक्त पदों को सीधी-भर्ती के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है। तदक्रम में शासनादेश सं0-27/2019/813/67-कृषिअ-19-ए0क्यू0-3003/82 दिनांक 25.09.2019 (संलग्नक-3) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विज्ञापित किये जाने वाले रिक्त पदों का आरक्षण/रोस्टर (संलग्नक-4) तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csauk.ac.in एवं विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस आशय से प्रकाशित/चस्पा किया जा रहा है कि आरक्षण/रोस्टर पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18.10.2021 तक अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

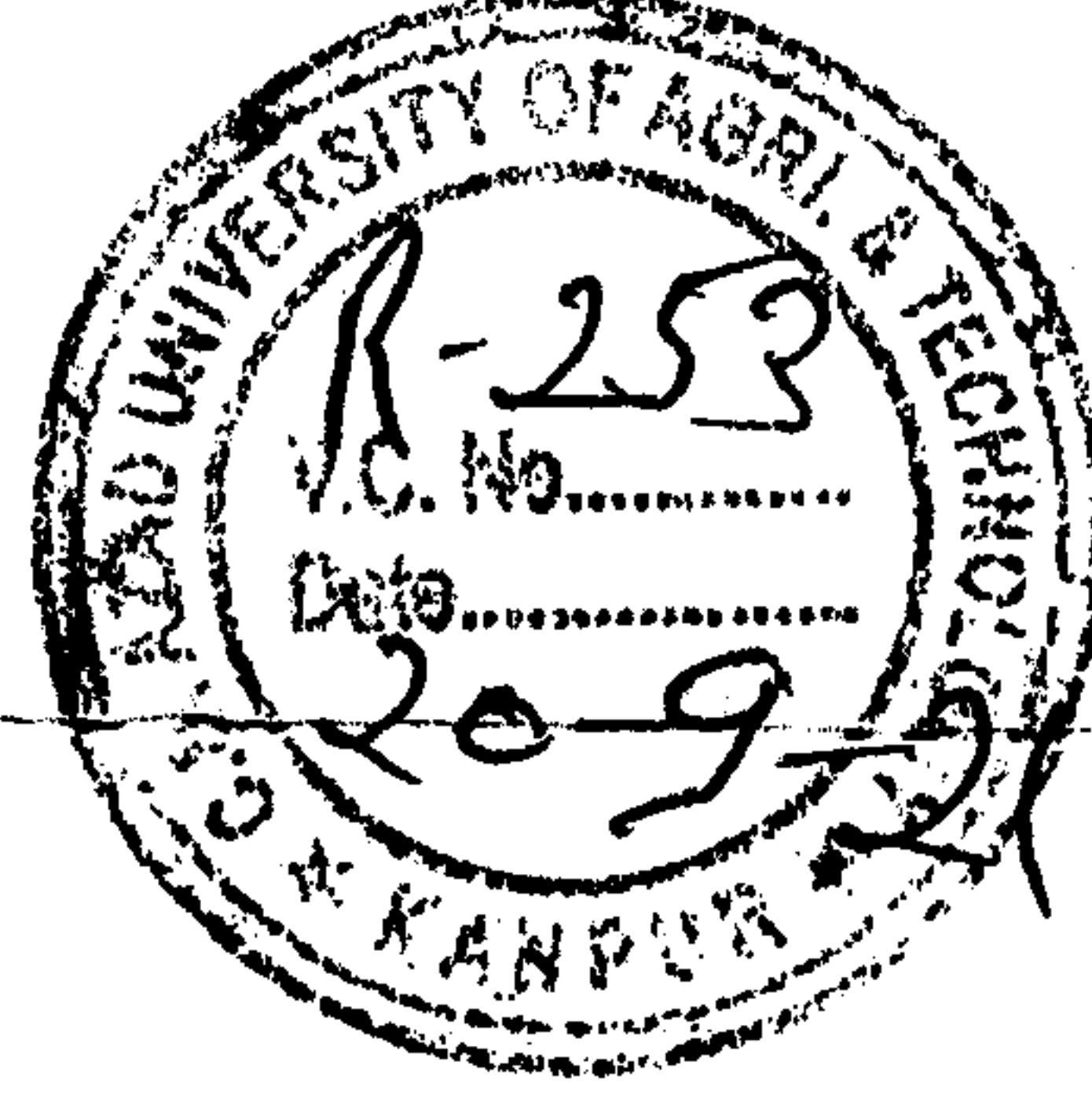

निदेशक,

प्रशासन एवं मानीटरिंग

संख्या-1788727/2021/कृशिअ-67-1001(099)/301/2019

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।



सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 10/09/2021

विषय: 30प्र0 में संचालित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर की जानी वाली भर्तियों में आरक्षण रोस्टर संबंधी एकरूपता स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 में संचालित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर की जानी वाली भर्तियों में आरक्षण रोस्टर संबंधी एकरूपता स्थापित किये जाने के संबंध में आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश सं0-1178/67-कृशिअ-21-1001(099)/301/2019 दिनांक 07.07.2021 द्वारा कुलपतिगण की एक समिति गठित की गयी थी। प्रकरण में कुलपतिगण की समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, 30प्र0 शासन के अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2021 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा 30प्र0 में संचालित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में की जाने वाली विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्तियों में आरक्षण रोस्टर सम्बंधी एकरूपता लाये जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. यह मात्र राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालयों में नान प्लान के अंतर्गत शैक्षणिक श्रेणी के सृजित पदों पर लागू होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश सं0-977/सत्तर-1-2019-16(29)/2019 दिनांक 02.09.2019 के अनुसार कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पत्रांक सं0-27/2019/813/67-कृशिअ-19 एक्नू-3003/82 दिनांक 25.09.2021 के अनुपालन में विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हुए सीधी भर्ती के शैक्षणिक पदों क्रमशः प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक को पृथक पृथक श्रेणी मानते हुए उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत 100 बिन्दुओं के आरक्षण रोस्टर को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों के नाम के हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुक्रम में अर्थात् अ, आ, इ, ई.....के क्रम में व्यवस्थित करते हुए लागू किया जायेगा।

Vice Chancellor
C.S. Azad University
Agriculture & Technology
KANPUR

R. S. Singh

3. एक चयन वर्ष (01 जुलाई से 30 जून तक) में सम्भावित रिक्तियों (पुराने खाली पद , सेवानिवृत्त से होने वाली खाली पद तथा नये सृजित पद) की गणना करते हुये कार्मिक विभाग के पत्र सं 0-5/2019/4/1/2002/ का- 2/2019 टी.सी.- 1 दिनांक 13.08.2019 द्वारा निर्गत 100 बिन्दुओं पर आरक्षण रोस्टर के शासनादेश के क्रम में रोस्टर तैयार किया जायेगा।
4. किसी वर्ष में आकास्मिक रूप से यथा मृत्यु, त्यागपत्र, किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरित हो जाने के कारण रिक्त पदों को अग्रोनित (carry forward) करते हुये अगले चयन वर्ष की रिक्ति के साथ गणना करते हुये भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।
5. वर्ष 2018 में कृषि विश्वविद्यालयों में सृजित पदों का विज्ञापन चरणबद्ध रूप से 50, 25 तथा 25 प्रतिशत के अनुपात में अलग - अलग नियुक्ति वर्षों में किया जायेगा तथा इन पदों पर रोस्टर अलग-अलग वर्षों में विज्ञापित होने वाले पदों के सापेक्ष लगाया जायेगा। विश्वविद्यालयों में अन्य सृजित / रिक्त पदों पर रोस्टर लगाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि जिन पदों का विज्ञापन किया जाना है, केवल उन्हीं पदों पर रोस्टर लगाया जायेगा।
6. यदि किसी विश्वविद्यालय को वर्ष 2018 में सृजित किये गये पदों जिसमें पदों पर चरणबद्ध रूप से 50, 25 तथा 25 प्रतिशत के अनुपात में भर्ती हेतु निर्देशित किया गया था, को यदि एक ही वर्ष में विज्ञापित करना है तो उ०प्र० शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरांत ही विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापन की कार्यवाही की जायेगी।
7. पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये पदों को उसी आरक्षण रोस्टर के आधार पर भरा जायेगा, जिस आरक्षण रोस्टर के आधार पर विज्ञापन किया गया था।
- 2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्गत किये जा रहे आदेश को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराकर सार्वजनिक कर, आपत्ति प्राप्त कर ली जाय तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसका निराकरण/समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर करते हुए उपलब्ध रिक्तियों का विज्ञापन नियमानुसार कर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

Signed by बृजराज सिंह
यादव

Date: 10-09-2021 12:36:24

(हस्ताक्षर: श्री. यादव)

विशेष सचिव।

संशोधन।

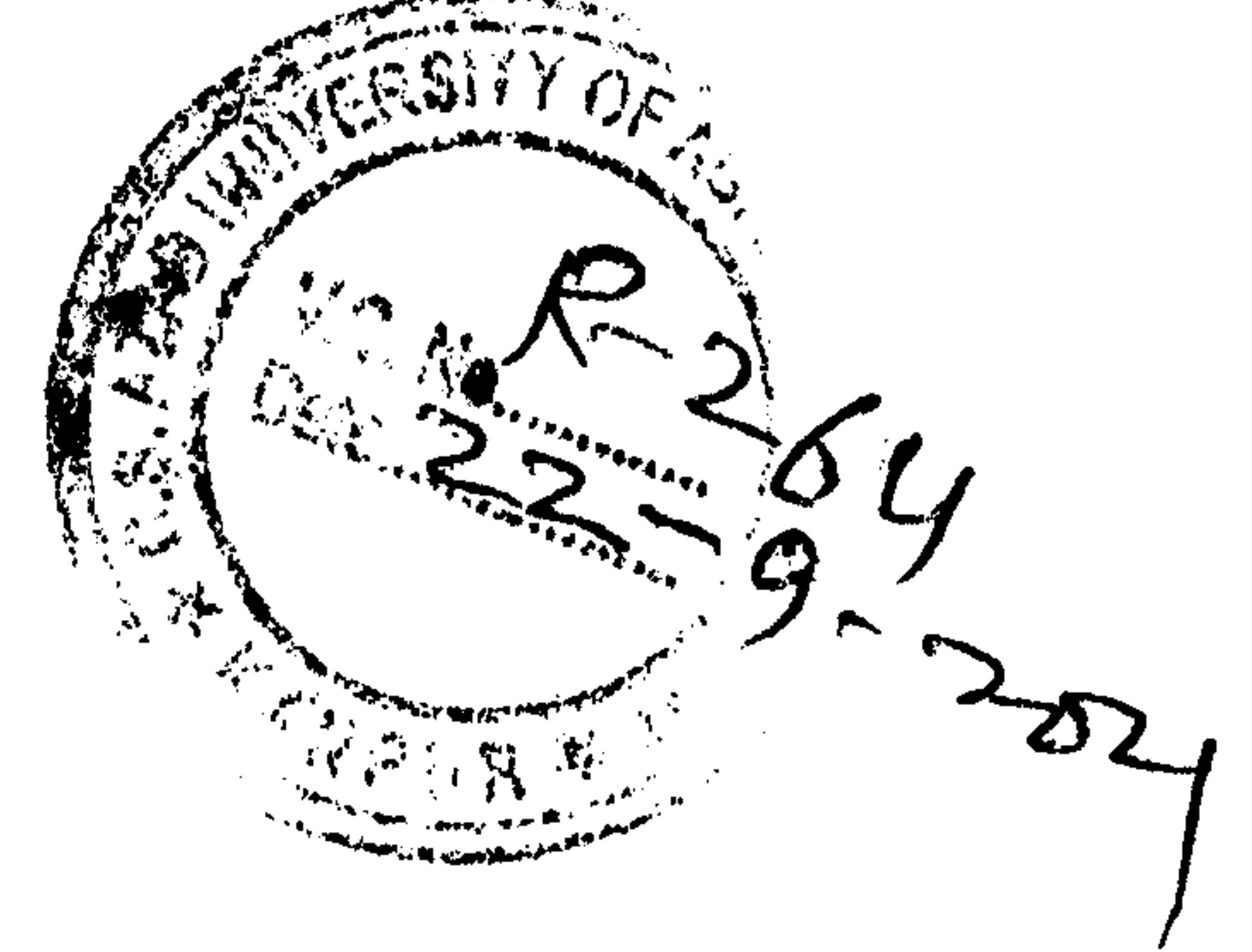
संख्या- 1788727(1)/2021/कृशिअ-67-1001(099)/301/2019

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या/कानपुर/मेरठ/बांदा ।



कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 21/09/2021

विषय: 30प्र0 में संचालित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर की जानी वाली भर्तियों में आरक्षण रोस्टर संबंधी एकरूपता स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1788727/2021/कृशिअ-67-1001(099)/301/2019 दिनांक 10.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित किया गया है कि "उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्गत किये जा रहे आदेश को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराकर सार्वजनिक कर, आपत्ति प्राप्त कर ली जाय तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसका निराकरण/समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर करते हुए उपलब्ध रिक्तियों का विज्ञापन नियमानुसार कर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2021 के प्रस्तर-2 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

"2- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि एक चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों की गणना करते हुए उसपर लगाये जाने वाले आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कर नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सार्वजनिक करते हुए एक निश्चित समय सीमा में (जो एक सप्ताह से कम न हो) आपत्ति प्राप्त कर ली जाय। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसका निराकरण/समाधान विश्वविद्यालय के कुलपति स्तर पर किया जाय। तत्पश्चात उपलब्ध रिक्तियों का विज्ञापन नियमानुसार कर भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।"

3- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.09.2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by बृजराज सिंह
यादव

Date: 21-09-2021 18:44:22
(बृजराज सिंह यादव)
Reason: Approved
विशेष सचिव।

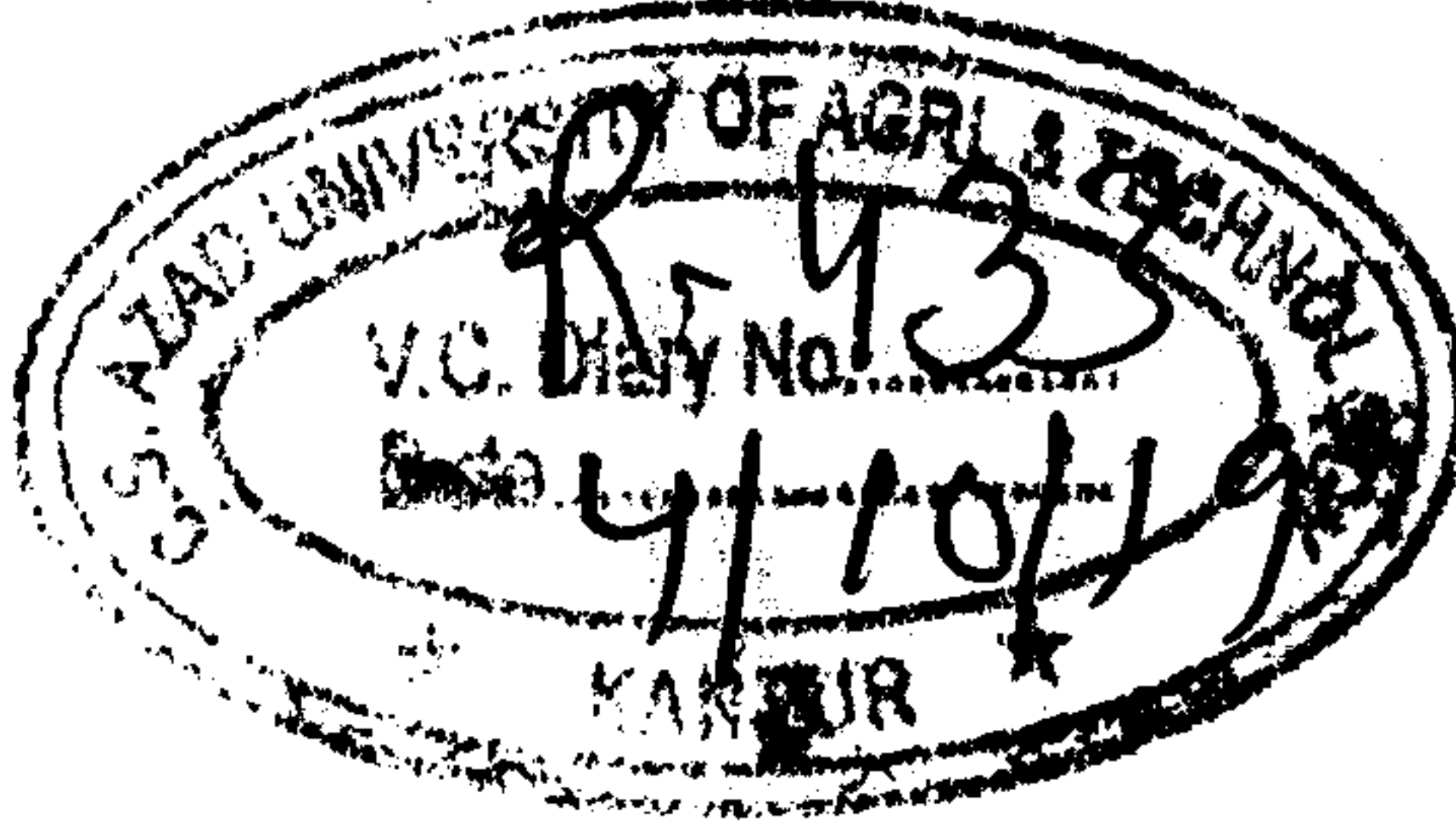
22/9
Vice Chancellor
S. Azad University of
Technology

R. Sachin
22/9

संख्या: २७/2019/813/67-कृषिअ-19-ए.क्यू.-3003/82

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।



सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों,
कानपुर/ अयोध्या/ मेरठ/ बांदा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक २५ सितम्बर, 2019

विषय: कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर आरक्षण के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-6/2015-916/सत्तर-1-2015-17(13)/1995 टी.सी., दिनांक 30.11.2015 तथा शासनादेश सं0-4/2016-289/सत्तर-1-2016-17(13)/1995 टी.सी., दिनांक 19.02.2016 में निहित व्यवस्था को कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में यथाप्रक्रिया लागू करने के निर्देश कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के शासनादेश सं0-1028/67-कृषिअ-16-ए.क्यू.-3003/82, दिनांक 24.08.2016 द्वारा जारी किये गये हैं।

2- उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-977/सत्तर-1-2019-16(29)/2019, दिनांक 02.09.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपने उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.11.2015 तथा 19.02.2016 एवं शासनादेश सं0-411/सत्तर-1-2003-17(13)/1995 दिनांक 26.05.2003 को अवक्रमित करते हुए समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।

Vice Chancellor
C.S. Azad University
of Agriculture & Technology
KANPUR

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

DR Singh

lele

DAM

04/10

3- उक्त वर्णित स्थिति में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के शासनादेश सं0-1028/67-कृषिअ-16-ए.क्यू. 3003/82, दिनांक 24.08.2016 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के उपर्युक्त शासनादेश सं0-977/सत्तर-1-2019-16(29)/2019, दिनांक 02.09.2019 में निहित व्यवस्था कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में यथाप्रक्रिया लागू कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

8.5.11
(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव।

सं0-27 /2019/813(1)/67-कृषिअ-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2) कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा।
- 3) सचिव, उ0प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4) कार्मिक अनुभाग-2 ।
- 5) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

)
(राधेश्याम)
अनु सचिव।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

ROSTER OF DIRECT RECRUITMENT POSTS

समूह 'क' पद: प्राध्यापक वेतन बैण्ड : Rs. 144200-218200 (Level-14 as per VIIth CPC Pay Matrix)

Roster No.	Reservation as per Roster (UR/OBC/SC/ST)	Name of the post
खाद्य विज्ञान एवं पोषण		
1.	अनसूचित जाति	प्राध्यापक, खाद्य विज्ञान एवं पोषण Professor, Food Science & Nutrition (गृह विज्ञान)
दुग्ध प्रौद्योगिकी		
2.	अनारक्षित	प्राध्यापक, दुग्ध अभियांत्रिकी Professor, Dairy Engineering (दुग्ध प्रौद्योगिकी, इटावा)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्राध्यापक, दुग्ध सूक्ष्म जीव विज्ञान Professor, Dairy Microbiology (दुग्ध प्रौद्योगिकी, इटावा)
प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन		
4.	अनारक्षित	प्राध्यापक, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन Professor, Extension Education & Communication Management (गृह विज्ञान)
प्रक्षेत्र यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी		
5.	अनसूचित जाति	प्राध्यापक, प्रक्षेत्र यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी Professor, Farm Machinery & Power Engineering (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)
सस्य विज्ञान		
6.	अनारक्षित	प्राध्यापक, सस्य विज्ञान Professor, Agronomy (लखीमपुर खीरी)

समूह 'क' पद : सह-प्राध्यापक वेतन बैण्ड : Rs. 131400-210800 (13A as per VIIth CPC Pay Matrix)

Roster No.	Reservation as per Roster (UR/OBC/SC/ST)	Name of the post
आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन		
1.	अनसूचित जाति	सह प्राध्यापक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन Associate Professor, Genetics & Plant Breeding (कानपुर कैम्पस)
2.	अनारक्षित	सह प्राध्यापक आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन Associate Professor, Genetics & Plant Breeding (लखीमपुर खीरी)
उद्यान विज्ञान		
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सह प्राध्यापक, उद्यान Associate Professor, Horticulture (लखीमपुर खीरी)
दुग्ध प्रौद्योगिकी		
4.	अनारक्षित	सह-प्राध्यापक दुग्ध अभियांत्रिकी Associate Professor, Dairy Engineering (दुग्ध प्रौद्योगिकी, इटावा)
पादप रोग विज्ञान		
5.	अनसूचित जाति	सह-प्राध्यापक, पादप रोग Associate Professor, Plant Pathology (लखीमपुर खीरी)
पारिवारिक संशाधन एवं प्रबन्धन		
6.	अनारक्षित	सह-प्राध्यापक पारिवारिक संशाधन एवं प्रबन्धन Associate Professor, Family Resource Management (गृह विज्ञान)
प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन		
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सह-प्राध्यापक, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन Associate Professor, Extension Education & Communication Management (गृह विज्ञान)
प्रसंस्करण एवं कृषि संरचना		
8.	अनारक्षित	सह-प्राध्यापक, प्रसंस्करण एवं कृषि संरचना, Associate Professor, Processing & Agril. Structure (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)

मानव विकास		
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सह-प्राध्यापक, मानव विकास Associate Professor, Human Development (गृह विज्ञान)
मृदा संरक्षण एवं जल प्रबन्ध		
10.	आर्थिक रूप से कमजोर	सह-प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी Associate Professor, Soil & Water Conservation Engineering (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)
11.	अनसूचित जाति	सह-प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी Associate Professor, Soil & Water Conservation Engineering (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन		
12.	अनारक्षित	सह-प्राध्यापक, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन Associate Professor, Soil Sci. & Agri. Chemistry (लखीमपुर खीरी)
वस्त्र एवं परिधान		
13.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सह-प्राध्यापक, वस्त्र एवं परिधान Associate Professor, Textiles & Clothing (गृह विज्ञान)

समूह 'ख' पद : सहायक प्राध्यापक वेतन बैण्ड : Rs. 15600-39100 (13 as per VIIth CPC Pay Matrix)

Roster No.	Reservation as per Roster (UR/OBC/SC/ST)	Name of the post
आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन		
1.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन (Assistant Professor, Genetics & Plant Breeding) (लखीमपुर खीरी)
उद्यान विज्ञान		
2.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, फल प्रौद्योगिकी Assistant Professor, Fruit Technology
कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी		
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र Assistant Professor, Agricultural Economics
4.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र Assistant Professor, Economics (लखीमपुर खीरी)
5.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक / प्रवक्ता गणित Assistant Professor/ Lecturer in Mathematics
6.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक सांख्यिकी Assistant Professor, Agricultural Statistics
कृषि जीव रसायन		
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, जीव रसायन Assistant Professor, (Biochemistry)
8.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक कृषि जीव रसायन Assistant Professor, Agriculture Biochemistry (लखीमपुर-खीरी)
कृषि प्रसार		
9.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक प्रसार Assistant Professor Demonstrator Extension
10.	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक प्राध्यापक, प्रसार प्रदर्शक Assistant Professor Extension Demonstrator
11.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक, प्रवक्ता कृषि प्रसार, Assistant Professor (Lecturer in Agril. Extension
12.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, कृषि प्रसार Assistant Professor, Agril. Extension (लखीमपुर-खीरी)
कीट विज्ञान		
13.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान Assistant Professor Entomology

14.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, कीट विज्ञान Assistant Professor Entomology
15.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान Assistant Professor, Entomology (लखीमपुर-खीरी)
खाद्य विज्ञान एवं पोषण		
16.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, खाद्य विज्ञान एवं पोषण Assistant Professor, Food Science & Nutrition (गृह विज्ञान)
पशु पालन एवं दुग्ध विज्ञान		
17.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, पशुपालन एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी Assistant Professor, A.H. & Dairying
18.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, पशु विज्ञान और पशु पालन Assistant Professor, Animal Science and Husbandry (लखीमपुर खीरी)
19.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, पशु विज्ञान Assistant Professor, Animal Science (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)
पारिवारिक संसाधन एवं प्रबन्धन		
20.	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक प्राध्यापक, पारिवारिक संसाधन एवं प्रबन्धन Assistant Professor, Family Resource Management (गृह विज्ञान)
प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन		
21.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन Assistant Professor, Extension Education & Communication Management (गृह विज्ञान)
22.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन Assistant Professor, Extension Education & Communication Management (गृह विज्ञान)
मानव विकास		
23.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक मानव विकास Assistant Professor, Human Development (गृह विज्ञान)
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन		
24.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक (कनिष्ठ प्रवक्ता) Assistant Professor (Junior Lecturer)
25.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक, , प्रवक्ता रसायन विद् Assistant Professor, Lecturer in Chemistry
26.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, मृदा विज्ञान Assistant Professor, Soil Science (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)
वस्त्र एवं परिधान		
27.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक प्राध्यापक, वस्त्र एवं परिधान Assistant Professor, Textiles & Clothing (गृह विज्ञान)
सस्य विज्ञान		
28.	अनारक्षित	सहायक कृषि अभियन्ता Assistant Agriculture Engineer
29.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक कृषि अभियन्ता Assistant Agriculture Engineer
30.	आर्थिक रूप से कमजोर	सहायक प्राध्यापक, कृषि अभियांत्रिकी Assistant Professor, Agricultural Engineering (लखीमपुर खीरी)
31.	अनसूचित जाति	सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान Assistant Professor Agronomy (लखीमपुर खीरी)
32.	अनारक्षित	सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान Assistant Professor, Agronomy (कृषि अभियांत्रिकी, इटावा)